भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3677

उत्तर देने की तारीख-10/08/2026

हिंगोली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति/अवसंरचना का आकलन

†3677. **श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हिंगोली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, विशेष रूप से ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में अधिगम के परिणामों, नामांकन, उपस्थिति, ड्रॉपआउट दर, शिक्षकों की रिक्तियों, जर्जर स्कूल भवनों, विज्ञान प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कंप्यूटर सुविधाओं, स्मार्ट कक्षाओं, लड़कियों के लिए शौचालय, पेयजल सुविधाओं और इंटरनेट कनेक्टिविटी के संबंध में सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों की स्थिति का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को उक्त निर्वाचन क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के शिक्षकों की लगातार बनी हुई कमी की जानकारी है, जिससे ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) हिंगोली जिले के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में स्वीकृत तथा रिक्त शिक्षण पदों का ब्यौरा क्या है और इन रिक्तियों को भरने के लिए राज्य सरकार के समन्वय से केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं,

(घ) क्या सरकार ने उक्त जिले में छात्रों के अधिगम संबंधी परिणामों, नामांकन, उपस्थिति और ड्रॉपआउट दर पर शिक्षकों की कमी के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को हिंगोली के सुदूर गांवों में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों, विज्ञान और वाणिज्य संकायों, छात्रावासों, डिजिटल और व्यावसायिक शैक्षणिक सुविधाओं के अभाव के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप विशेष रूप से कक्षा 10वीं या 12वीं के बाद छात्राओं की ड्रॉपआउट दर बढ़ी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) विगत तीन वर्षों के दौरान समग्र शिक्षा, पीएम श्री स्कूलों और अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत हिंगोली को स्वीकृत तथा जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और जिला-वार पूर्ण किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार का राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अंतर्गत नए स्कूल, बालिका छात्रावास, डिजिटल अधिगम केंद्र स्थापित करने, शिक्षकों की भर्ती और कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए हिंगोली जैसे शैक्षणिक रूप से पिछड़े जिलों के लिए कोई विशेष पैकेज शुरू करने/प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयंत चौधरी**)**

(क) से (छ): 'शिक्षा' संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। समग्र शिक्षा योजना सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए

कक्षाओं के निर्माण और मरम्मत सहित अवसंरचना और बुनियादी सुविधाओं के निर्माण में सहायता प्रदान करती

है, जिसमें विज्ञान प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, कंप्यूटर सुविधाएं, स्मार्ट कक्षाएं, बालिकाओं हेतु शौचालय, पेयजल सुविधाएं और इंटरनेट कनेक्टिविटी शामिल हैं। हिंगोली जिले के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों सहित स्कूलों में अवसंरचनात्मक विस्तार की आवश्यकता को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उनकी आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक वर्ष विकेंद्रीकृत तरीके से तैयार किया जाता है और उनकी वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीऔरबी) में दर्शाया जाता है। तत्पश्चात इन योजनाओं का राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदन किया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, हिंगोली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में अवसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता से संबंधित ब्यौरा निम्नलिखित हैं:

क्र. सं.	**अवसंरचनात्मक सुविधाएं**	**स्कूलों की संख्या**
1	स्मार्ट कक्षाएं	1427
2	आईसीटी प्रयोगशालाएं	210
3	कंप्यूटर सुविधाएं	1388
4	इंटरनेट कनेक्शन	1442
5	विज्ञान प्रयोगशालाएं	260

यूडाइज+ के अनुसार, महाराष्ट्र में वर्ष 2024-25 और 2025-26 में प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं और सभी विद्यार्थियों (वंचित वर्गों सहित) की स्कूल छोड़ने की दर का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	प्रारंभिक		मध्य		माध्यमिक	
	बालिका	कुल	बालिका	कुल	बालिका	कुल
2024-25	0	0	0.6	0.6	7.3	8.3
2025-26	0	0	0	0	5.4	6.2

भर्ती, सेवा शर्तों, शिक्षकों की तैनाती और रिक्त शिक्षण पदों को भरने से संबंधित अन्य मामले संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। शिक्षकों की भर्ती एक सतत प्रक्रिया है और सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, त्याग-पत्र, नए स्कूल खोलने जैसे कारकों के कारण रिक्तियां उत्पन्न होती हैं। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, हिंगोली जिले में संस्वीकृत 3,351 पदों में से 98 पद रिक्त हैं।

शिक्षा मंत्रालय समय-समय पर महाराष्ट्र सहित देश भर के स्कूलों में अधिगम परिणामों के आकलन हेतु बड़े पैमाने पर मूल्यांकन करता है। इस संबंध में, स्कूली शिक्षा के बुनियादी, प्रारंभिक और मध्य चरणों (ग्रेड 3, 6 और 9) के अंत में विद्यार्थियों के बीच दक्षताओं के विकास में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत आधारभूत प्रदर्शन के आकलन हेतु राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र-परख, एनसीईआरटी द्वारा परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 (पूर्व में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण) आयोजित किया गया था। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय रिपोर्टें

https://dashboard.parakh.ncert.gov.in/en पर उपलब्ध हैं, जो मूल्यांकन के निष्कर्षों को प्रसारित करने के लिए तैयार किया गया एक समर्पित डैशबोर्ड है। इन निष्कर्षों से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विद्यार्थियों के अधिगम में मौजूद कमियों की पहचान करने तथा स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु लक्षित कार्य करने में सहायता मिलती है।

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने जुलाई और अगस्त 2025 में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विद्यार्थियों की सुरक्षा और कल्याण के साथ-साथ स्कूल भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने, असुरक्षित और जर्जर स्कूल भवनों की तत्काल पहचान करने तथा उनके उपयोग पर रोक लगाने के निदेश जारी किए हैं, जब तक कि उन्हें सुरक्षित न प्रमाणित किया जाए। तदनुसार, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने स्कूल सुरक्षा और जर्जर स्कूल भवनों का उपयोग न करने पर बल दिया है। समग्र शिक्षा और राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के तहत कक्षाओं का निर्माण और मरम्मत की जाती है।

इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार, परियोजना अनुमोदन बोर्ड की बैठकों, नियमित समीक्षा बैठकों और प्रबंध पोर्टल सहित विभिन्न मंचों के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा योजना के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा और मूल्यांकन करती है और उन्हें योजनाओं के विभिन्न हस्तक्षेपों के समय पर कार्यान्वयन, अधिगम परिणामों को बढ़ाने तथा विद्यार्थियों के ड्रॉपआउट को कम करने, पारदर्शी और योग्यता-आधारित भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के विषय में सलाह देती है।

समग्र शिक्षा, पीएम श्री, पीएम पोषण और स्टार्स की केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत महाराष्ट्र को विगत तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित और जारी की गई केंद्रीय हिस्सेदारी का ब्यौरा इस प्रकार है:

(रु. करोड़ में)

योजना	2023-24		2024-25		2025-26	
	केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज	केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज	केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज
स्टार्स	201.27	156.26	326.31	110.15	167.98	36.63
समग्र शिक्षा	1348.00	1001.19	1438.59	1126.25	1431.82	1289.00
पीएम पोषण	1099.5550	663.18	1329.1997	1021.43	1386.1872	1272.91
पीएम श्री	126.81	63.4	339.37	226.15	230.77	170.89*

* वित्तीय वर्ष 2025-26 से पीएम श्री योजना को एसएनए स्पर्श पर शामिल किया गया है। अतः यह आंकड़ा जारी की गई मूल स्वीकृति का है।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित किए गए कार्यों का ब्यौरा, जिसमें अतिरिक्त कक्षाएं, बालकों के शौचालय, बालिकाओं के शौचालय, सीडब्ल्यूएसएन हेतु शौचालय, जर्जर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूल भवनों की मरम्मत, विद्युतीकरण, प्रमुख मरम्मत कार्य तथा फर्नीचर शामिल हैं, अनुलग्नक में दिया गया है।

अनुलग्नक

'हिंगोली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति/अवसंरचना का आकलन' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल द्वारा दिनांक 10.08.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3677 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

महाराष्ट्र में विगत तीन वर्षों में जिला-वार अनुमोदित कार्यों का ब्यौरा

क्र.सं.	जिला	अनुमोदित कार्य
1	अहिल्यानगर	675
2	अकोला	955
3	अमरावती	1623
4	छत्रपति संभाजीनगर	10983
5	बीड	4750
6	भंडारा	1027
7	बुलढाणा	5053
8	चदरापुर	1613
9	धुले	259
10	गढ़चिरौली	586
11	गोंदिया	1700
12	हिंगोली	4523
13	जलगांव	1511
14	जलना	5361
15	कोल्हापुर	1418
16	लातूर	2807
17	नागपुर	592
18	नांदेड़	5748
19	नंदुरबार	900
20	नासिक	3044
21	उस्मानाबाद	4347
22	पालघर	3840
23	परभणी	2666
24	पुणे	4464
25	रायगढ़	284
26	रत्नागिरी	53
27	सांगली	1856
28	सतारा	509
29	सिंधुदुर्ग	330
30	सोलापुर	1461
31	ठाणे	859
32	वर्धा	236
33	वाशिम	854
34	यवतमाल	4125
	कुल	**81012**

*स्रोत: महाराष्ट्र राज्य सरकार
